

(4) उप धारा (3) के तहत सिफारिश प्राप्त होने पर ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक बुलाई जाएगी जिसमें गणपूर्ति के लिए ग्राम साधारण निकाय की कुल सदस्यों का पाँचवाँ भाग से कम न हो और उपस्थित सदस्यों की बहुमत से सिफारिश को स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

(5) उप धारा (4) के तहत सिफारिश को मंजूरी प्राप्त होने पर मंजूरी की तारीख से फर्स्ट कैप्टन का पद समाप्त हो जाएगा ।

(6) यदि ग्राम परिषद की सिफारिश मंजूर नहीं की जाती अथवा ग्राम साधारण निकाय की विशेष बैठक में गणपूर्ति नहीं होती है, ग्राम साधारण निकाय की मंजूरी प्राप्त करने हेतु सिफारिश के असफल हो जाने पर अथवा गणपूर्ति की कमी जिस कारण सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सका, से एक वर्ष की अवधि के भीतर ग्राम परिषद के फर्स्ट कैप्टन के विरुद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।

(7) इस विनियम में शामिल इन सबके बावजूद प्रथम कैप्टन उप धारा (2) के तहत बुलाई गई बैठक और उप धारा (4) के तहत ग्राम साधारण निकाय द्वारा बुलाई बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाही के दौरान ऐसे प्रस्ताव में या अन्य मामलों में मतदान नहीं कर सकेगा, लेकिन उसे ऐसे बैठक में बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा ।

सैकेंड कैप्टन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

21. (1) ग्राम परिषद के किसी सदस्य द्वारा सैकेंड कैप्टन के विरुद्ध " अविश्वास प्रस्ताव" उस तरीके से जैसा निर्धारित किया गया है, प्रस्तावित किया जा सकता है ।

(2) प्रस्ताव रखने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर इस पर विचार विमर्श के लिए और अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय करने हेतु ग्राम परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाएगी ।

(3) यदि प्रस्ताव ग्राम परिषद के कुल सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई सदस्यों की बहुमत से प्रस्तावित की जाती है, सैकेंड कैप्टन का पद, प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगी ।

(4) इस विनियम में इन सबके बावजूद सैकेंड कैप्टन उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में विचार-विमर्श किया जाएगा, लेकिन बैठक में बोलने और बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उसे प्राप्त होगा ।

आकस्मिक रिक्ति

22. ग्राम परिषद के किसी सीट अथवा फर्स्ट कैप्टन तथा सैकेंड कैप्टन के पद की आकस्मिक रिक्ति को ग्राम परिषद की अवधि के शेष भाग के लिए विनियम के उपबन्धों के अनुसार चुनाव के माध्यम से भरा जाएगा ।

बशर्ते कि जहाँ कोई सीट या फर्स्ट कैप्टन का पद किसी महिला के लिए आरक्षित है, तो महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति रिक्ति को भरे जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

ग्राम परिषद के अधिकारी और कर्मचारी

23. (1) प्रत्येक ग्राम परिषद में एक सचिव होंगे जिनकी नियुक्ति उपायुक्त द्वारा की जाएगी और उनके वेतन और भत्ता का आहरण ग्राम परिषद की निधि से की जाएगी ।

(2) सचिव ग्राम परिषद के कार्यालय का प्रभारी होगा और इस विनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उप नियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहण करेगा ।

(3) अनुशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों की शर्तों पर सचिव फर्स्ट कैप्टन के नियंत्रण के तहत सभी कार्यों को करेगा जिसके प्रति ग्राम परिषद के लिए वह उत्तरदायी है ।